5467 60/A

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 05.05.2018
18.5.18

फा.क्र. 2212/2018/21-ब(एक), राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27 मार्च 2018 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. वेंकटरामा रेड्डी की अध्यक्षता में गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा दिनांक 09.03.2018 को न्यायिक अधिकारियों को अंतरिम रिलीफ (वेतन) के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट/अनुशंसाओं को मान्य करते हुए निम्नांकित बिंदुओं के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के न्यायिक अधिकारियों, पेंशनर्स एवं फेमिली पेंशनर्स को अंतरिम राहत प्रदान करता है :-

1. समस्त केटेगरी/रेंक के न्यायिक अधिकारियों को मूल वेतन पर 30 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रदान जाती है।
2. वेतन में की गई उक्त बढ़ोत्तरी पृथक वेतन के रूप में मानी जाएगी एवं इस पर कोई डी.ए. (महंगाई भत्ता) देय नहीं होगा।
3. उक्त अंतरिम राहत के बकाया (एरियर) की गणना दिनांक 01.01.2016 से की जावेगी।
4. उक्त अंतरिम राहत पेंशनर एवं परिवार पेंशनर्स को भी समान रूप से दिनांक 01.01.2016 से देय होगी एवं उसी अनुरूप बकाया (एरियर) भी देय होगा।
5. उक्त अंतरिम राहत के देय बकाया (एरियर) का पूर्ण भुगतान 30 जून, 2018 तक या उसके पूर्व सुनिश्चित किया जावेगा।
6. उपरोक्त प्रकार से अंतरिम राहत के अंतर्गत प्रदान की गई राशि को भविष्य में रेड्डी वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट/सिफारिशों के अध्यधीन समायोजन योग्य माना जावेगा।

यह अधिसूचना म.प्र. शासन, वित्त विभाग की सहमति यू.ओ. क्र. 931/18/वित्त/नियम/चार.... दिनांक 16-5-18... के अनुक्रम में जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(आर.के. वाणी) 18.5.18
प्रभारी प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

16-5-18 931/18/वित्त/नियम/चार

निरंतर....2